न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, मवाना (मेरठ)

उपस्थित : .प्रशान्त मौर्य (उ0 प्र0 न्यायिक सेवा)

मुकदमा संख्या–3578/2022

सरकार **बनाम** **गौरव आदि**
अपराध संख्या–78/2022
अन्तर्गत धारा–323,352,504,506, भा0दं0सं
थाना–बहसूमा, जिला मेरठ।

–:निर्णयः–

अभियुक्त गौरव कुमार, उज्जवल , देवेन्द्र, एवं नकुल का विचारण थाना मवाना द्वारा मु.अ. सं.78/2022 धारा–323,352,504,506, भा0दं0सं0 के अंतर्गत प्रस्तुत आरोपपत्र के आधार पर किया गया।

संक्षेप में अभियोजन का कथानक इस प्रकार से है कि वादी मुकदमा द्वारा इस आशय का मुकदमा थाना हाजा पर दर्ज कराया कि दि0 04.06.2022 को रात्रि 9.00 बजे के करीब वादी का भाई कपिल अपने घर बाहर से आ रहा था जैसे ही वह घर के बाहर पहुंचा तो तभी अभियुक्तगण उपरोक्ते ने लाठी डंडो से हमला कर दिया ,गाली गलौज किया। अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा के भाई को जमीन पर गिरा लिया और पीटने लगे। जब पुलिस व गांव के लोग वादी के भाई को बचाने पहुंचे तो अभियुक्तगण जान से मारने की धमकी हुए मौके से भाग गए। हमने अपने भाई को 112 न. पुलिस की गाडी से मेडिकल पहुंचाया। घटना के सम्बंध में वादी मुकदमा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के आधार पर थाना पर वाद पंजीकृत हुआ। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध आरोपपत्र उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत न्यायालय प्रेषित किया गया।

न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध संज्ञान लिया गया तथा अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त ने आरोप से इंकार किया और विचारण की मांग की।

अभियोजनपक्ष की ओर से पी.डबलू.1 राहुल, पी.डब्लू.2 राम पुत्र ओमपाल, पी.डब्लू.3 कपिल, को परीक्षित कराया गया। अभियोजन की ओर से अन्य कोई साक्षी प्रस्तुत न करने पर अभियोजन साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया ।

अभियुक्तगण के बयान धारा 313 द.प्र.सं. अंकित किए गए। अभियुक्त गण ने अपने बयान में गवाहों द्वारा गलत बयान दिये जाने एवं मुकदमा झूठा चलाये जाने का कथन किया तथा बचाव मे कोई सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करने से इंकार किया।

न्यायालय द्वारा सहायक अभियोजन अधिकारी एवं विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त के तर्क को सविस्तार सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का अवलोकन किया ।

अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0डब्लू01 राहुल ने अपने बयान में सशपथ कथन किया कि घटना आज से करीब दो वर्ष पहले की है समय करीब रात्री नौ बजे मेरा भाई कपिल बाहर से घर जा रहा रहा था जैसे ही वह घर के पास पहुंचा तभी हाजिर अदालत अभियुक्त गण ने उस पर हमला कर दिया ,गाली गलौज किया व जान से मारने की धमकी दी। साक्षी ने घटना की बाबत थाना पर दर्ज करायी तहरीर प्रदर्श क–1 पर अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त किया। दौरान जिरह साक्षी ने कथन किया कि दि0 04.06.2022 को समय करीब रात्रि नौ बजे हाजिर अदालत अभियुक्तगण ने मेरे भाई के साथ कोई मारपीट नही की न जान से मारने की धमकी दी न किसी प्रकार के आपराधिक बल का प्रयोग किया। मेरे भाई को चोटे ईटो पर गिरने से आयी थी। साक्षी ने अभियुक्तगण से सुलह होना स्वीकार किया। साक्षी ने दरोगाजी को धारा 161 द.प्र.स. का बयान देने से इंकार किया। उसका यह बयान कैसे लिखा गया वह कारण नही बता सकता।

अभियोजन साक्षी सं02राम ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया कि घटना जून 2022 की है। दोपहर कासमय था और घर पर गौरव उज्जवल आदि में किसी बात को लेकर कहा सुनी होने लगी। उसी समय वहां पर काफी भीड इकटठा हो गयी। मै पहचान नही पाया कि भीड में किसी ने मुझे पीछे से धक्का दे दिया, जिससे मेरे आंख के पास चोट आ गयी। साक्षी ने दरोगाजी को धारा 161 द.प्र.स. का बयान देने से इंकार किया। उसका यह बयान कैसे लिखा गया वह कारण नही बता सकता। साक्षी ने हाजिर अदालत मुलजिमान द्वारा मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने से इंकार किया। केवल घर के बाहर कहा सुनी होना बताया और गिर जाने के कारण चोटे आना बताया। आगे जिरह किए जाने पर भी इस साक्षी की साक्ष्य में ऐसा कोई तथ्य नही आया जिससे अभियोजन कथानक को बल प्राप्त हो।

साक्षी पी.डब्लू.3 कपिल ने अपने बयान की मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया कि घटना चार जून 2022 की है, दोपहर के समय मेरी परमानन्द से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गयी थी। आस पास के लोगो के कहने पर मै अपने घर आ रहा तभी तीन–चार लोगो ने मुझ पर हमला कर दिया था। लेकिन मैं हमलावरो को पहचान नही पाया था। उन लोगो मे से किसी ने मेरे सिर में डंडा मारा जिससे मेरे सिर में चोटे आयी थी। मै अभियुक्तगण को पहचान नही पाया था। दौरान जिरह साक्षी ने स्वयं का मेडिकल सी.एच.सी. मवाना पर होना बताया। मारपीट करने वालो को अंधेरा होने के कारण पहचान नही पाया था। साक्षी ने दरोगाजी को धारा 161 द.प्र.स. का बयान देने से इंकार किया। उसका यह बयान कैसे लिखा गया वह कारण नही बता सकता। आगे जिरह किए जाने पर भी इस साक्षी की साक्ष्य में ऐसा कोई तथ्य नही आया जिससे अभियोजन कथानक को बल प्राप्त हो।

उल्लेखनीय है कि पी.डब्लु.1 द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में घटना का समर्थन करते हुए तहरीर प्रदर्श क–1 पर अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त किया किन्तु दौरान जिरह दौरान जिरह साक्षी ने कथन किया कि दि0 04.06.2022 को समय करीब रात्रि नौ बजे हाजिर अदालत अभियुक्तगण ने मेरे भाई के साथ कोई मारपीट नही की न जान से मारने की धमकी दी न किसी प्रकार के आपराधिक बल का

प्रयोग किया। मेरे भाई को चोटे ईटो पर गिरने से आयी थी। साक्षी ने अभियुक्तगण से सुलह होना स्वीकार किया। साक्षी पी.डब्लू.2 व साक्षी सं03 ने घटना का समर्थन नहीं किया तथा अभियुक्तगण से सुलह होना स्वीकार किया। अन्य कोई साक्षी अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया।

इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विवेचन से स्पष्ट है कि अभियोजन साक्षीगण के बयान विरोधाभासी है। अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध लगाये आरोप को संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त लगाए गए आरोप से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त गौरव कुमार, उज्जवल, देवेन्द्र, एवं नकुल को मु.अ.सं. 78/2022 धारा–323, 352, 504, 506, भा0दं0सं0 थाना बहसूमा, जनपद मेरठ के अंतर्गत आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर है। उनके बंध पत्र निरस्त एवं जमानतदारों को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त द्वारा अंतर्गत धारा–437।ए। द0प्र0सं0 के अधीन मु0 20,000/–रू.। बीस हजार रूपये। का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं इतनी ही धनराशि के दो प्रतिभू इस आशय से प्रस्तुत किया जा चुका है कि जब भी उन्हें इस निर्णय के विरूद्ध संस्थित अपील में अपीलीय न्यायालय द्वारा तलब किया जायेगा तो वह अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगें।

दिनांकः–23.12.2025

(प्रशान्त मौर्य)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मवाना मेरठ।
ID.No.UP3377

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर उदघोषित किया गया।

दिनांकः– 23.12.2025

(प्रशान्त मौर्य)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मवाना मेरठ।
ID.No.UP3377

This is uncertified copy for information/Reference. for authentic copy please refer to certified copy only.